न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला— सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री शान्ति लाल जैन आर.ए.एस

प्रकरण संख्या नम्बर—54 / 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022 / 183

उनवान

1. श्री किशोरसिह पिता सरदारसिह राजपुत जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी रन्देला तहसील सलुम्बर, जिला—उदयपुर (राज.)
2. श्रीमति सुरजकुवर पति सरदारसिह राजपुत जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी रन्देला तहसील सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्रीमति किशनकुवर पति रतनसिह पुत्री सरदारसिह राजपुत जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी सलावता तहसील सलुम्बर, जिला— सलूम्बर (राज.)
4. श्रीमति जसकुवर पति परबतसिह पुत्री सरदारसिंह राजपुत जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी सलावता तहसील सलुम्बर, जिला—सलूम्बर (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय उदयपुर हाल जिला सलूम्बर।
2. श्रीमान भुमिधारी तहसीलदार सलुम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट एवं
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांक : 25/03/25

उपस्थितिः श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता — प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार तहसीलदार सलुम्बर — विपक्षीगण

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता सरदारसिह पिता जगतसिह राजपुत निवासी रन्देला जो के रन्देला गाव निवासी है तथा उनकी जमीन मौजा नोली मे है जो कि दिनांक 19.12.1970 को आवटन हुई थी जो कि आराजी नम्बर 27 28/33 है। जिसका रकबा 4 बीघा था जिस आधार पर गैरखातेदारी अधिकार प्राप्त हुये जिसके उपरान्त मे उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के पिता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये जिस आधार पर जमाबन्दी में नामान्तकरण पारीत हो गया जिस आधार पर प्रार्थी का नाम जमाबन्दी मे संवत 2036 से 2039 में अंकन हो गया जिसके आराजी नम्बर 27 28/33 है जिसका रकबा 4 बीघा था। प्रार्थी के खाते की भूमि का बन्दाबस्त के बाद नया नम्बर 922 बने है जिसका रकबा 0.88 हैक्टेयर है।

उपरोक्त खसरा नम्बर के आधार पर ही प्रार्थी आज भी उक्त जमीन पर कब्जा काश्त करता आ रहा है उक्त जमीन पर बाडबन्दी कर रखी हैं परन्तु बन्दोबस्त अधिकारी के द्वारा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

उक्त जमीन को गलत तोर पर बिना किसी सुचना के बन्दोबस्त के दोरान उक्त जमीन को बिलानाम कर दिया गया। उक्त जमीन पुन वादी के नाम पर कराने का प्रार्थी पुर्ण अधिकारी है तथा अभी जमीन उक्त जमना नगर पटवार हल्का बरोडा में है। वादीगण के पिता सरदारसिह के द्वारा अधिवक्ता मांगीलाल सेवक के द्वारा धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिनांक 10.08.2020 को प्रदान किया जो प्रतिवादी को प्राप्त हो गया जिसके उपरान्त मे उक्त कृषि भूमि को वादीगण के खातें नहीं की जिस दोरान वादीगण के पिता सरदारसिंह पिता जगतसिह राजपुत का देहावसान दिनांक 06–02–2022 को हो गया जिस कारण उनके वारीसान के द्वारा उक्त वाद को प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि उक्त सरदारसिह के वारीसान होने के कारण उनके खाते करवाने हेतु वाद को प्रस्तुत किया जा रहा है जिस कारण उक्त वाद को वादीगण को प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 10–08–2020 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण के पिता के द्वारा नोटिस प्रदान किया गया जिसके उपरान्त में खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होने पर उक्त वाद कारण अनवरत जारी है अत वाद अन्दर अवधी प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री सादर फरमाई जावे– कि वादीगण को खसरा नम्बर 922 का एकमात्र खातेदार घोषित फरमाई जावे व तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद फरमावे ।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार सलूम्बर हाजिर रहे जिन्होने जवाब पेश कर अंकित किया कि वाद की कलम संख्या 1 से 3 रेकार्ड अनुसार स्वीकार स्वीकार है। जवाब मे साथ मौका पर्चा पेश कर अंकित किया कि मौके पर तीन तरफ थुर की बाड लगी हुई है। मोतबिरानो ने बताया कि उक्त भूमि पर जिस पर मोके पर थुर की बाड लगी हुई है उस भूमि पर श्री किशोरसिंह पिता सरदार सिंह, श्रीमति सुरजकुंवर पत्नी सरदार सिंह जाति राजपूत का कब्जा है। रेकार्ड अनुसार भू प्रबन्ध के पूर्व जमाबंदी संख्या 2036 से 2039 में आ.न. 27 28/33 रकबा 4 बीघा प्रार्थीयान के खाते दर्ज थी। तुलनात्मक एवं साबिक नक्शे अनुसार वर्तमान आ.नं 922 रकबा 0.88 हे. का मिलान होता है।

प्रकरण में उभयपक्ष कि बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार कर प्रार्थीगण के पिता को आवंटित साबिक आराजीयात नम्बर 27 28/33 रकबा 4 बिघा से बने हाल आराजी नम्बर 922 रकबा 0.88 हैक्टेयर हाल राजस्व रेकार्ड इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रार्थीगण के खाते दर्ज कराने का आदेश फरमावें। पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर की बहस अपने जवाब अनुसार रही।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अवलोकन किया गया। प्रार्थी श्री सरदारसिंह पिता जगतसिंह राजपुत को आवटंन आदेश दिनांक 19–12–78 को मौजा नोली खसरा संख्या 27 28 मेसे 4 बिघा भूमि आवंटन होने के पश्चात नामान्तरण संख्या 826 दिनांक 27–12–78 को सरदारसिंह पिता जगतसिंह राजपुत के नाम उक्त 4 बिघा भूमि गैर खातेदारी से दर्ज कीये जाने हेतु स्वीकृत हुआ। मौजा नोली पटवार हल्का बरोडा जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 खाता संख्या 355 आराजी नम्बर 27 28/33 श्री सरदारसिंह पिता जगतसिंह राजपुत सा.दहे खातेदार दर्ज अंकित है। तुलनात्मक एवं साबिक नक्शे अनुसार वर्तमान आ.नं 922 रकबा 0.88 हे. का मिलान होता है। जमाबंदी संवत् 2048 आधार वर्ष मे एवं उसके बाद की जमाबंदी मे आराजी नम्बर 922 बिलानाम ना काबिल काश्त दर्ज अंकित है। भू–प्रबंधन के बाद बनी जमाबंदी मे पूर्व की

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

जमाबंदी अनुसार प्रविष्ठीयो को दोहराया जाना था। जो विपक्षीगण जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से त्रुटिपूर्ण होना जाहिर होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर हाल मौजा नोली पटवार हल्का बरोडा साबिक आराजी नम्बर 27 28 / 33 रकबा 4 बिघा से बने हाल मौजा जमनानगर पटवार हल्का नोली के आराजी नम्बर 922 रकबा 0.88 हैक्टेयर भूमि बिलानाम आराजी मेसे कम करते हुए हाल राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे इन्द्राज दुरूस्ती कर मृतक सदारसिंह पिता जगतसिंह राजपुत निवासी रन्देला के विधिक वारिसान प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय दिनांक 25/03/25 को सरेइजलास सूनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(शान्ति लाल जैन RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर